राजस्व निगरानी क्र. / 2018
प्रस्तुति दिनांक 31.03.2018

न्यायालय– श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, इन्दौर के समक्ष

आज दिनांक PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/2514
16-4-18 को आयुक्त कार्यालय इन्दौर से प्राप्त।
16-4-18

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री .... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक.......... को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
347
31-03-2018
117

1. छोगालाल पिता केसरलाल
2. सोहन पिता केसरलाल
3. रामप्रसाद पिता बद्रीलाल गुर्जर
निवासी– ग्राम बखनगढ़
तहसील बदनावर जिला धार

——— /निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. अरविन्द पिता जगदीश जाति बारी
2. श्रीमती उर्मिला पति जगदीश जाति बारी
3. देवीसिंह पिता मदनसिंह जाति बारी
4. दीपक पिता मदन जाति बारी
5. श्रीमती उमाबाई पति मदन जाति बारी
6. मानकुंवर बाई बेवा बालुबारी फोतवारिसान
7. दिलीप पिता बालु जाति बारी
8. बगदीबाई पिता बालु जाति बारी
9. गणपत पिता प्रताप बारी
10. मांगीबाई (मगली) पिता प्रताप बारी
11. गजेन्द्र पिता जगदीश बारी

सभी निवासीगण ग्राम बखतगढ़
तहसील बदनावर जिला धार (म.प्र.)

——— प्रतिनिगरानीकर्तागण

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

सदर प्रकरण में निगरानीकर्ता की ओर से सादर निवेदन है कि:–

यह निगरानी माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील बदनावर जिला धार द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 0039/2015, 2016 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 में पारित आदेश से असंतुष्ठ होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अविरत———2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/2018/2514

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	